न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :— 156/2024

स्टेट जरिये श्री संदीप कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

—प्रार्थी

—:बनामः—

मनीराम पुत्र हजारी राम देहडू (विक्रेता)
मैसर्सः—देहडू डेयरी फार्म, संजय चौक, भादरा, जिला हनुमानगढ़।
निवासीः—वार्ड नं. 10, मुंसरी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

—अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 51

उपस्थितः—

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. श्री दलीप सारस्वत, अभिभाषक अप्रार्थी।

—:निर्णयः—

दिनांक :—28.07.2025

प्रार्थी श्री संदीप कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप कुमार दिनांक 02.12.2023 को समय 10.45 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्सः—देहडू डेयरी फार्म, संजय चौक, भादरा, जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर मनीराम पुत्र हजारी राम देहडू (विक्रेता) निवासी—वार्ड नं. 10, मुंसरी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ उपस्थित मिला। उक्त विक्रेता के पास आमजन के बेचान वास्ते Buffalo Milk तादाद करीब 20 लीटर एल्यूमिनियम कैन में आमजन के विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने पर विक्रेता से 02 लीटर Buffalo Milk अच्छी तरह हिला मिलाकर नमूना जांच वास्ते क्रय कर लिया। जिसको मथनी से एक रूप करवाकर चार बराबर भागों में बांटकर चार साफ सुखी प्लास्टिक की बोतलों में भरकर लिया तथा प्रत्येक बोतल में 40—40 बूंदे फॉर्मलिन की डाली गई। मौके पर ही विक्रेता को उक्त Buffalo Milk के खरीद मूल का 120/—रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। माल खरीद रसीद/कैश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा 02 लीटर Buffalo Milk को चार बराबर भाग में प्लास्टिक की बोतलों में भरकर लिया और चार लेबल तैयार कर लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर कर लेबल स्लिप कोड नं0 एके—3156 मिन पर दर्ज कर चारों बोतलों पर चिपकाया। प्रत्येक बोतल को मोटे खाकी कागज में लपेटा ऊपर से नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ एवं जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके—3156 मिन पर दर्ज कर चारों बोतलों पर चिपकाया। प्रत्येक बोतल को नियमानुसार मोटे सफेद धागे से बांधा व चार—चार जगह से सील चपड़ी किया। सील्ड नमूने पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 06 की प्रतियां तैयार की एवं प्रत्येक फार्म पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया था। इसके पश्चात एक नमूना भाग मय फार्म नं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 1981 दिनांक 12.12.2023 जिसके अनुसार नमूना जांच Substandard Food प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2024/4748—49 दिनांक 19.12.2023 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

जांच हेतु निर्धारित अवधि या उसके पश्चात कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। आवेदक द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ को वास्ते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थी Substandard Buffalo Milk का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर Buffalo Milk विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। जिसकी पावती संलग्न पत्रावली है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा बहस की गई कि अप्रार्थी के विभिन्न फार्मों व माल खरीद रसीद पर अंगूठा निशानी लगवाई गई है जो कि एक अनपढ़ व्यक्ति है तथा नमूना लेने की तमाम कार्यवाही आनन–फानन में विधि विरूद्ध रूप से की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नमूनीकरण समस्त कार्यवाही दोषपूर्ण होने से प्रकरण खारिज किये जाने योग्य है। दूध का नमूना लेते समय 20 लीटर की एल्यूमिनियम कैन में रखे दूध को मथनी से एक रूप करने की बजाय केवल उसमें से 02 किलो दूध को [illegible] कर अलग बर्तन में मथनी से एक रूप किया गया था जिस कारण खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया नमूना जांच के लिये उचित नहीं माना जा सकता तथा नमूने लेने की प्रक्रिया दोषपूर्ण है। नमूना लेने के पश्चात उक्त नमूने को जांच हेतु पब्लिक हैल्थ लेबोरेटरी, बीकानेर के यहां भेजा गया था जिसकी जांच करीब 10 दिवस पश्चात की गई थी जो रिपोर्ट दिनांक 12.12.2023 को तैयार की गई है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार मिल्क फैट 4.8 प्रतिशत एवं मिल्क सॉलिड नोट फैट 8.87 प्रतिशत पाया गया जबकि तय मानकों के अनुसार भैंस के दूध का मिल्क फैट 5 प्रतिशत व एस.एन.एफ. 9 प्रतिशत होना चाहिये। इस संबंध में अप्रार्थी का निवेदन है कि उक्तानुसार दूध का नमूना सही रूप से नहीं लिया गया तथा द्वितीय नमूने की जांच 10 दिवस पश्चात की गई है जिससे भी नमूने की जांच विश्वसनीय व सही प्रतीत नहीं होती है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी यह मत प्रतिपादित किया गया है कि When marginal difference like one percent was noticed by the public analyst or by the Centeral Food Laboratory, the courts have taken the view but it is possible that there may be some error creeping in the conclusion reached thereto. इसके अलावा यह मत भी व्यक्त किया गया है कि that the difference in percentage is on account of the circumstance that the distribution of fat in milk in separate sample bottles will not be even as result of violent churning of the milk. स्पष्ट है कि प्रकरण में विशेषज्ञ द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट एवं अधिनियम द्वारा तय किये गये मानकों में अत्यल्प अंतर है जिस कारण दूध को अवमानक श्रेणी में रखा जाना न्यायोचित नहीं है। नमूने की जांच नियमानुसार दो लेबारेटरी से करवायी जानी चाहिये जिसके लिये अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को नियमानुसार नोटिस दिया जाना चाहिये लेकिन प्रकरण में अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को अपने दूध की जांच अन्य लेबोरेटरी से करवाने के लिये अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा आनन–फानन में न्यायालय के समक्ष आवेदन/परिवाद प्रस्तुत कर दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जिस दूध का नमूना लिया गया है वह दूध पशु से निकालने के पश्चात बर्तन से सीधे ही कैन में भरा जाता है जिस पूरी प्रक्रिया में पूर्ण सावधानी बरती जाती है तथा उक्त दूध से पशु से कैन तक आने में किसी प्रकार छेड़छाड़ नहीं की जाती है तथा दूध पूर्णतया प्राकृतिक रूप में रखा जाता है जहां तक दूध में फैट अथवा एन.एस.एफ. का प्रश्न है तो इस संबंध में इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि पशु को दिये गये आहार की मात्रा एवं उसके खानपान के समय में किसी प्रकार का परिवर्तन दूध की प्रकृति में मामूली परिवर्तन होने की गुंजाईश रहती है क्योंकि दुधारू पशु की प्रकृति भी इसमें अहम भूमिका अदा करती है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के मध्यनजर अप्रार्थी पर लगाये गये आरोप निरस्त किये जाने योग्य है। बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गयेः–1- FAJ 2003 Page 75, 2-FAJ 2008 Page 1 (A.P.), 3-FAJ 2008 Page 563 (A.P.)। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लैब रिपोर्ट के अनुसार अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय किये गये Buffalo Milk की जांच में Substandard की रिपोर्ट आई है। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा पेश न्यायिक नजीरें आंशिक चस्पा होते हैं। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा Substandard Buffalo Milk का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी के Substandard कृत्य के लिए धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 10,000/–(अखरे रूपये दस हजार मात्र)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक–एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़